

# तथ्यों को जानें

## प्रिय निवेशक,

पिछले कुछ वर्षों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने आपके करीब आने के लिये प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) में होने वाली ऑन-लाइन ट्रेडिंग को देश के लगभग हर हिस्से में पहुँचा दिया है. निवेशक हितों की रक्षा करने के प्रयास के हमारे अनुभवों के आधार पर हम आपको कुछ उत्तम प्रथाओं की जानकारी देना चाहेंगे जिनका पालन आपको करना चाहिये. ये दिशानिर्देश आपकी शिकायतों को कम करने और एक्सचेंज में किये जाने वाले सौदों के लिये एनएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई निवेशक रक्षा निधि के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराने में काफी सहायक सिद्ध होंगे.

## एनएसई में ट्रेडिंग के लिये सुरक्षा दिशानिर्देश

केवल एनएसई के सेबी पंजीकृत ब्रोकरों या उनसे संबद्ध सेबी पंजीकृत सब-ब्रोकरों के द्वारा ही प्रतिभूतियों की खरीदी या बिक्री करें. एनएसई के सभी ब्रोकरों व उनके सब ब्रोकरों को हर उस जगह पर अपने सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकृत कार्यालय का विवरण व सेबी में पंजीकृत नाम इत्यादि के विवरण का प्रदर्शन करना अनिवार्य है जहां से वे ट्रेडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं. जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जायें जो एनएसई ब्रोकर होने का दावा करता हो, तो इन विवरणों की जांच कीजिये.



यह सुनिश्चित करें कि आपने 'अपने ग्राहक को जानिये' फॉर्म में अपने बारे में सारी जानकारी दी है और उसके बाद क्लार्ईट-ब्रोकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करें.




याद रखें कि जब आप शेयरों की खरीदी या बिक्री का आदेश देते हैं, तो एक विशेष आदेश क्रमांक(ऑर्डर नं.) उत्पन्न होता है. और जब सौदा पूरा होता है तो हर सौदे के लिये एक विशेष ट्रेड नं. उत्पन्न होता है. सुनिश्चित करें कि कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये नंबर मौजूद हैं. कृपया इन नंबरों को ध्यानपूर्वक लिख लें.



सुनिश्चित करें कि सौदा होने के 24 घंटे भीतर आपको अपने ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट नोट प्राप्त होना चाहिये.

सौदे की प्रामाणिकता को जांचने के लिये एनएसई वेबसाइट पर लॉग-इन कीजिये और यूआरएल [http://www.nseindia.com/content/equities/eq\\_trdverify.htm](http://www.nseindia.com/content/equities/eq_trdverify.htm) पर एनएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यापार सत्यापन सुविधा पर जाइये. आपके ब्रोकर द्वारा आपको दिये गये कॉन्ट्रैक्ट नोट में उपलब्ध संबंधित जानकारी भरिये. यह सुविधा सारे प्रामाणिक सौदों की सत्यता की पुष्टि करेगी और सौदे की तिथि से 5 दिनों की अवधि तक उपलब्ध रहेगी.



अपने उत्तरदायित्वों का सुरक्षापूर्वक निर्वह करने के दौरान अपने ब्रोकर तक शेयर पहुंचाने के लिये यह सुनिश्चित करें कि डिलीवरी के निर्देश केवल आपके ब्रोकर के नाम वाले खाते के लिये ही हों. यदि आपको खरीदी के बाद अपने ब्रोकर को धनराशि भेजनी है तो यह सुनिश्चित करें कि आप अपने स्वयं के बैंक खाते के अकाउंट पेयी चेक के द्वारा भुगतान करें और चेक पर आपके ब्रोकर का नाम उसी तरह होना चाहिये जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट नोट पर या कार्यालय में दशयि गये सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र पर लिखा हुआ हो.

जहां तक हो सके आपको नकदी भुगतान नहीं करना चाहिये क्योंकि संभव है उसका लेखा परीक्षण में कोई प्रमाण न मिले. चाहे जो भी हो, यदि धनराशि रु. 20,000 से अधिक हो, तो आपको चेक के द्वारा ही भुगतान करना चाहिये.



कृपया सुनिश्चित करें कि किसी भी सौदे के लिये अपने ब्रोकर से भुगतान/डिलीवरी आपको पेआउट तिथि से एक कार्य दिवस में प्राप्त हो जानी चाहिये.

आपको अपने ब्रोकर से फंड और शेयर के लिये आपका खाता विवरण (स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट) ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 महीने में एक बार प्राप्त होना चाहिये. लेकिन याद रखिये, आपको फौरन अपने खातों की जांच करके उनका मिलाप कर लेना चाहिये. ध्यान रखें कहीं ऐसा न हो कि आप सौदे अपने नाम से करें और फिर अपने परिवारजनों/ मित्रों के बैंक खातों से चेक जारी करें. इसी तरह डिमैट डिलीवरी निर्देश परची आपके अपने डिमैट खाते की होनी चाहिये, न कि आपके परिवार के किसी सदस्य के डिमैट खाते की.



यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इत्यादि में कोई त्रुटि मिलती है तो आप वह त्रुटि तुरंत अपने ब्रोकर को लिखित में बताएँ (ब्रोकर से मोहर लगवाएँ) और उसमें तुरंत सुधार सुनिश्चित करें.

यदि आपका ब्रोकर आपकी शिकायत का निवारण एक उपयुक्त अवधि में (मान लीजिये 15 दिनों के भीतर) नहीं करता है, तो कृपया उसे 'एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ' के विचारार्थ प्रस्तुत करें. शिकायत के प्रारूप व उसे एनएसई को प्रस्तुत करने के तरीके की जानकारी आप एनएसई वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर लॉगऑन करके यूआरएल [http://www.nseindia.com/content/assist/asst\\_invcentre.htm](http://www.nseindia.com/content/assist/asst_invcentre.htm) से प्राप्त कर सकते हैं.



एक्सचेंज के निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ से शिकायत करते समय सभी संबंधित दस्तावेजों जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट, भुगतान/और शेयरों की डिलीवरी के प्रमाण इत्यादि की प्रतियों को जमा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. याद रखें, पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में शिकायतों का निवारण बहुत कठिन हो जाता है.

ये दिशानिर्देश आपके फायदे के लिये हैं.

कृपया इस विज्ञापन को काट कर भविष्य के लिये संभाल कर रखें.



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

''एक्सचेंज प्लाजा'', बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051.

फ़ोन : 91-22-26598100-8114. फ़ैक्स : 91-22-26598120. ई-मेल : cc\_nse@nse.co.in

हमारी वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर कृपया विज़िट करें.

एनएसई द्वारा जनहित में जारी.